श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीया स°वि°स° से प्राप्त गैर सरकारी संकल्प संख्या-113/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह चम्पारण तटबंध के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के किलोमीटर 66.00 से किलोमीटर 132.80 तक के अंश का मजबूतीकरण एवं पक्कीकरण करावें।	वस्तुस्थिति यह है कि गंडक नदी के बायें तट पर चम्पारण तटबंध अवस्थित है। चम्पारण तटबंध के केसरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तटबंध के प्रश्नगत् प्रभाग के रिसेक्सनिंग एवं तटबंध शीर्ष पर ब्रीक सोलिंग कार्य हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को समर्पित है, जिसकी स्वीकृति के पश्चात् कार्यान्वयन कराया जायेगा। वर्तमान में चम्पारण तटबंध मोटरेबुल है। केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा तटबंध शीर्ष पर कालीकरण कार्य हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। तटबंध पर पक्कीकरण कार्य पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग से कराया जा सकता है। इस हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र दिया जा सकता है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0संकल्प (मुज0)–09–09 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–451 दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में गैर सरकारी संकल्प सं0–113 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0संकल्प (मुज0)–09–09 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0संकल्प (मुज0)–09–09 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0संकल्प (मुज0)–09–09 / 2026– 1445 पटना, दिनांक–25/03/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.03.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
24.03.26